Reservation for SCs/STs

2711. DR. B. B. DUTTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to reveiw the orders on job reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Government have set up any Committee on examine it; and

(d) if so, the details thereof alongwith the action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) Yes, Sir.

(b) The review involves keeping in view all the relevant considerations including legal and constitutional aspects related to the issues.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

नौकरशाही में भ्रष्टाचार

2712. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूरी भारतीय नौकरशाही भ्रष्ट है और जब इसमें कोई एकाध सही नौकरशाह पहुंच जाता है, तो उसे अन्धाधुन्ध तबादलों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अधिकारियों के कार्यकाल को एक खास पद पर खास अवधि तक निर्धारित करने का प्रबंध करेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) जहां तक केन्द्र-सरकार के अधीन पदों का संबंध है, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पदों का एक निर्धारित कार्यकाल होता है। राज्य सरकारों के अधीन पदों के सम्बन्ध में यह उन पर निर्भर करता है कि वे अपने नियन्त्रणाधीन पदों के सम्बन्ध में उपयुक्त नीतियां बनाएं।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास लंबित मामले

2713. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण में 28 फरवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इन न्यायाधिकरणों में अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के कितने पद रिक्त हैं तथा कब से रिक्त हैं;

(ग) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्त पदों की पूर्ति और लंबित मामलों को तेजी से निपटाने हेतु की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) फरवरी 28, 1999 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में क्रमशः 49780 और 26782 मुकदमे अनिर्णीत-लंबित चल रहे थे।

(ख) दिनांक 12-04-1999 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में उपाध्यक्ष का एक पद, प्रशासनिक सदस्य के आठ पद और न्यायिक सदस्य का एक पद रिक्त थे। ये सभी रिक्तियां वर्ष 1998 से संबंधित हैं।

मध्य प्रदेश अधिकरण में, उपाध्यक्ष का केवल एक पद दिसम्बर, 1996 से रिक्त चला आ रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में उपाध्यक्ष और सदस्यों की रिक्तियों के मामले में चयन, उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश की अध्यक्षता वाली एक चयन-समिति की सिफारिशों के आधार पर, सामान्यतः वर्ष में दो बार किया जाता है। पहले चुने गए उम्मीदवारों में से कुछ ने नियुक्ति-प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं और उनके द्वारा शीघ्र ही अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक